



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)  
आई.एस.ओ. 9001:2015 द्वारा प्रमाणित  
Certified with ISO 9001:2015



निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली  
DIRECTORATE (MEDICAL) DELHI  
क.रा.बी.नि. औषधालय सह निदान केन्द्र परिसर, मयूर विहार  
फेज़-1, नई दिल्ली- 110091  
ESIC DISPENSARY-CUM- DIAGNOSTIC CENTRE COMPLEX,  
MAYUR VIHAR PHASE-I, NEW DELHI- 110091  
E-mail ID: [dir-med.dl@esic.nic.in](mailto:dir-med.dl@esic.nic.in)

111-A-22/15/1/2022-clerk-E-I(M) part III(Comp. No. 42218)

दिनांक 12-02-2026

**वर्ष 2026 का कार्यालय आदेश संख्या-23**  
**OFFICE ORDER NO. 23 OF 2026**

सक्षम प्राधिकारी ने प्रशासनिक अनिवार्यता को देखते हुए इस निदेशालय में तैनात निम्नलिखित कार्यालय अधीक्षकों को तुरंत प्रभाव से पुनः कार्य/शाखा आवंटन के आदेश दिए हैं :-

Competent Authority has ordered allocation of work/branch of following office superintendents due to administrative exigency with immediate effect: -

क्र.स.	कर्मचारी का नाम एवं पदनाम (श्री/श्रीमति/कु.)	कर्मचारी संख्या	वर्तमान आवंटित कार्य/शाखा	आदेशित कार्य/शाखा आवंटित
1.	Sonia Gahlot, OS	135456	Establishment Branch-I and Vigilance Branch	Establishment Branch-I
2.	Ankit Kaundal, OS	138126	Joined as OS on 26.12.2025	Vigilance branch
3.	Vijay Kumar, OS	104058	DPC (M) and RC(M)	DPC (M)
4.	Rakesh Kumar, OS	110480	Cash Branch-I	RC(M)
5.	Padmakar Jha, OS	148304	Joined as OS on 26.12.2025	Cash Branch-I
6.	Sidhartha Dey, OS	100322	Joined DMD on 11.02.2026	Establishment Branch-I
7.	Naveen Vats, OS	109876	Joined as OS on 26.12.2025	Audit
8.	Indu Saha, OS	105042	Joined as OS on 26.12.2025	Establishment Branch-III

उपरोक्त कर्मचारियों को निर्देश दिया जाता है कि वह आदेशित शाखा/कार्य आवंटित शाखा को अनिवार्य रूप से कार्य ग्रहण हेतु रिपोर्ट करें।

The above-mentioned employees are directed to report for duty to the assigned branch/office as per the order.

**उप-निदेशक (प्रशा.)**

**प्रति,**

1. संबंधित कर्मचारी।
2. संबंधित शाखा।
3. संबंधित कर्मचारी की वैयक्तिक फाइल स्थापना शाखा-2 (चि.)।
4. निजी प्रधान सचिव, निदेशक (चिकित्सा) दिल्ली/निजी सचिव, अपर निदेशक (औषधालय)/ संयुक्त निदेशक (प्रशा.) को सूचनार्थ।
5. उप निदेशक(प्रशा.), स्थापना शाखा-I/सहायक -निदेशक (रोकड़), रोकड़ शाखा (चि.)/सहायक निदेशक (प्रशा.), स्थापना शाखा-II(चि.)/ सहायक /उप-निदेशक (वित्त), वित्त एवं लेखा शाखा-I/II/III/IV /ऑडिट/ उप-निदेशक (प्रशा.) सतर्कता शाखा (चि.) / आरटीआई सेल (चि.) / पी. जी. सेल (चि.) / सहायक निदेशक (प्रशा.), केन्द्रीय डायरी (चि.)/ सहायक निदेशक, DPC और RC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।

6. विशेष कार्यकारी अधिकारी, आईटी सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. राजभाषा शाखा (चि.) को सूचनार्थ |
8. गार्ड फाइल।